न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017

II/निगरानी/श्योपुर/भू.रा/2017/6380

श्रीमती मिथलेश पत्नी जगपाल सिंह, निवासी– ग्राम पर्तवाड़ा तहसील करहाल जिला श्योपुर (म.प्र.)

--आवेदिका

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जिला श्योपुर (म.प्र.)
2. देवेन्द्र कुमार पुत्र प्रतापसिंह यादव, निवासी– ग्राम पर्तवाड़ा तहसील करहाल जिला श्योपुर (म.प्र.)
3. गजेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह यादव, निवासी– ग्राम पर्तवाड़ा तहसील करहाल जिला श्योपुर (म.प्र.)

--अनावेदकगण

श्री विनोद भार्गव अभि. द्वारा आज दि० 29-12-17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 29/12/17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
29-12-2017

शाखा प्रभारी (रा.नं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

<u>न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/2016-17/स्व.निग. में पारित आदेश पारित दिनांक 04/12/2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदिका का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः</u>

1. यहकि, ग्राम पर्तवाड़ा में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 340/2 रकबा 2.077 हे. आवेदिका के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है एवं वर्तमान में भी आवेदिका उक्त भूमि पर काबिज कास्त करती हुयी दखल चली आ रही है।
2. यहकि, अपर कलेक्टर महोदय के समक्ष नरेन्द्रसिंह द्वारा जगपाल सिंह के विरूद्ध निगरानी प्रकरण क्रमांक 25/2009-10/निगरानी दायर किया गया जबकि अपर कलेक्टर महोदय को किसी व्यक्ति के आवेदन पर पुनरीक्षण की अधिकारिता ही नहीं थी।
3. यहकि, अपर कलेक्टर महोदय द्वारा इस अग्राहय में पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 28/07/2017 द्वारा निगरानी स्वीकार की

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–दो / निगरानी / श्योपुर / भू.रा. / 2017 / 6380

श्रीमती मिथलेश विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
02–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–श्योपुर के प्र.क्र. 07 / 2016–17 / स्व.निग. में पारित आदेश दिनांक 04–12–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11–06–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	